**संख्या- 33/177/बयालिस-2015-131(विविध)/2013**

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

**खेल अनुभाग** **लखनऊ : दिनांक : 30 मार्च, 2015**

**विषय- जनपद बरेली में स्टेडियम के विस्तारीकरण व सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में पुनरीक्षित आगणन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- जी- 1059/नि0 बरेली स्टे0 पत्रा0/2013-14, दिनांक 14.01.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या- 372/बयालिस-2014-131(विविध)/2013, दिनांक 26 फरवरी, 2014 द्वारा प्रश्नगत प्रायोजना हेतु रू0 485.10 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा रू0 200.00 लाख अवमुक्त की गयी थी तत्पश्चात शासनादेश संख्या- 2105/बयालिस-2014-131(विविध)/2013, दिनांक 02 सितम्बर, 2014 द्वारा अवशेष धनराशि रू0 285.10 लाख अवमुक्त की गयी। स्वीकृत लागत में कार्य पूर्ण न होने के दृष्टिगत श्री राज्यपाल महोदय जनपद बरेली में स्टेडियम के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण के लिए मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत रू0 695.50 लाख (रू0 छः करोड़ पच्चानबे लाख पचास हजार) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है:-

(1)- प्रायोजना अन्तर्गत समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लिरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2)- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

(3)- कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल एवं कार्यदायी संस्था की होगी।

(4)- प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(5)- लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(6)- प्रायोजना के अन्तर्गत समय-समय पर कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए गुणवत्ता परक कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(7)- प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(8)- स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। **.....2**

http://shasanadesh.up.nic.in

(9)- परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एंव बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212(vii) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। प्रश्नगत प्रायोजना हेतु पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(10)- शेष शर्तें मूल शासनादेश संख्या- 372/बयालिस-2014-131(विविध)/2013, दिनांक दिनांक 26 फरवरी, 2014 के अनुसार यथावत रहेंगी।

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2014-15 के अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-55-जनपद बरेली के स्पोर्टस स्टेडियम का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या- ई-5- 454/दस-2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

( अनिल कुमार )
अनु सचिव।

**संख्या- 177(1)/बयालिस-2015-तद्दिनांक :-**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

(1)- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2)- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3)- कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4)- जिलाधिकारी/क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, बरेली।
(5)- प्रबन्ध निदेशक, पैकफेड उत्तर लखनऊ।
(6)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(7)- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
(8)- नियोजन अनुभाग- 4
(9)- गार्ड फाईल/कम्पयूटर प्रति।

आज्ञा से,

( अनिल कुमार )
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in